<u>**न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना।**</u>

सेशन्स केस संख्या–263/2022

सरकार बनाम रामबाबू राजभर व अन्य।

<u>**आरोप**</u>

मैं, मदन मोहन, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I, कुशीनगर स्थान पडरौना आप अभियुक्तगण रामबाबू राजभर व सुरेन्द्र राय को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 05.03.2022 को समय करीब 13.15 बजे, वहद स्थान–अभिनायकपुर के पास सर्विस लेन, एन०एच० 28, थाना–कसया, जिला–कुशीनगर में आप अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा आप अभियुक्तगण जिस कन्टेनर वाहन सं० GJ01CT7326 में बैठे थे, की कैविटी में से कुल 21 पैकेटों में 03 क्विंटल 21 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसे रखने का आपके पास कोई लाईसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो कि धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण को जिस कन्टेनर के साथ गिरफ्तार किया गया, उस पर कूटरचित नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिस पर DD01E9914 नंबर लिखा था, जबकि उक्त कन्टेनर का वास्तविक नंबर GJ01CT7326 था। आप लोगों के द्वारा कूटरचित नंबर प्लेट को असली के रूप में उपयोग किया गया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो कि धारा 471 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि उक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण को कन्टेनर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिस पर कूटरचित नंबर प्लेट DD01E9914 लगी थी तथा आपके द्वारा उसे कूटरचित जानते हुए कन्टेनर पर लगाकर उपयोग में लाया गया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया जो कि धारा 473 भा०द०सं० के तहत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उपरोक्त आरोप हेतु इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः**04.07.2022**

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

दिनांकः**04.07.2022**

(**मदन मोहन**)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०–I,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by MADAN MOHAN
Date: 2022.07.04 16:06:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court